iJRASET
International Journal For Research in Applied Science and Engineering Technology

INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH

IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLOGY

Volume: 13 **Issue:** V **Month of publication:** May 2025

DOI: https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.70142

www.ijraset.com

Call: 08813907089 | E-mail ID: ijraset@gmail.com

International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)
ISSN: 2321-9653; IC Value: 45.98; SJ Impact Factor: 7.538
Volume 13 Issue V May 2025- Available at www.ijraset.com

शैक्षणिक योजनाओं के प्रति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों में जागरूकता एवं उनकी उपयोगिता का अध्ययन'

इंद्र बहादुर[1], डॉ. धनंजय धीरज[2]
शिक्षा शास्त्र विभाग, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया (बिहार)
विभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र विभाग, गया कॉलेज, गया (बिहार)

सार- शिक्षा को व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का एक अत्यंत प्रभावी एवं कारगर तरीका माना जाता है। यही कारण है कि हर समाज शिक्षा प्रणाली का उपयोग करता है ताकि अपने लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे उनमें ज्ञान, कौशल, समझ, दृष्टिकोण, मूल्य एवं आत्मविश्वास का विकास हो सके। इस दिशा में समाज निरंतर प्रयासरत रहता है ताकि व्यक्तियों को समुचित रूप से सशक्त बनाया जा सके। ताकि उसके लोग अपने सामाजिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें तथा इसके साथ ही साथ शिक्षा समाज को संगठित और एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शिक्षा न केवल मानवीय कौशलताओं का विकास करती है वरन् यह भी समाज को ध्वस्त करने वाले कई कारक, जैसे ईर्ष्या, वैमनस्य, पक्षपात, निहित स्वार्थ, अंधविश्वास, धर्मान्धता और रूढ़िवादिता को दूर करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट किया जाय तो एक ओर जहाँ शिक्षा संस्कृति एवं सभ्यता की जननी है तो वहीं दूसरी ओर वह सृष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन भी है। इसीलिए प्रत्येक युगों से शिक्षा के महत्व तथा प्रभाव को भली-भाँति स्वीकार किया जाता रहा है। साथ ही शिक्षा को किसी भी देश के आर्थिक विकास और मानवीय संसाधनों के निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना ही प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को। किसी समाज और देश के विकास में जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। भारत की जाति व्यवस्था दुनिया के जीवित सामाजिक स्तरीकरण के सबसे पुराने रूपों में से एक मानी जाती है जो उनके कर्म और धर्म के आधार पर कठोर पदानुक्रमित समूहों के रूप में आमतौर पर 3000 साल से सतत् प्रवाहमान रही है। मनुस्मृति (20/23/678) ने भी समाज की व्यवस्था और नियमितता के आधार के रूप में जाति व्यवस्था को स्वीकार किया है। इस रूप में मनुस्मृति हिन्दूओं की जाति व्यवस्था की चार प्रमुख श्रेणियाँ स्वीकार करती है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र प्रमुख है। जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के देवता ब्रह्मा से मानी जाती है। समाज के परिवर्तित स्वरूपों के कारण तथा उनके विशिष्ट व्यवसाय के आधार पर लगभग 3000 जातियाँ और 2500 उपजातियाँ प्रादुर्भाव में आयी। जाति व्यवस्था में सबसे निचले क्रम में अछूत और दलित जातियाँ थीं, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी थीं. सामाजिक और धार्मिक परम्परा, अंधविश्वास, शिक्षा की कमी, आलस्य, धर्म के प्रति अटूट विश्वास और जागरूकता की कमी सबसे बड़े पिछड़ेपन के कारण थे। अर्थात् जो जाति समाज की मुख्यधारा से विलग हो गयी वही कालान्तर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कहलायी। इस श्रेणी में अनुच्छेद (24) में वर्गीकृत जातियों का वितरण और संकेंद्रण जारी रहा और इनके अलग-अलग गोत्र, परम्परागत व्यवसाय के तौर तरीके, खान-पान का स्वरूप, वेशभूषा, सामाजिक परम्पराएँ, शादी-विवाह की प्रथा, संस्कार, उत्सव की तैयारी आदि में काफी असमानताएँ पैदा हुई। वर्तमान में शासन ने 56 अनुसूचित जाति और जनजाति तथा दलित वर्ग को अनुच्छेद 341 और 342 के आधार पर वर्गीकृत करके जनजाति कहा है। मुख्य रूप से इसमें गोड़, बैगा, अगरिया, खैरवार, पनिका और कोल शामिल हैं। सैद्धान्तिक आधार पर सामाजिक परिवर्तन के क्रम में मानव समाज भी आदिकाल से अनेक स्वरूपों में परिवर्तित हुआ है और इस प्रकार भारतीय अनुसूचित जातियों और जनजातियों में द्रुत गति से बदलाव की स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और जनजातिए समुदायों के स्थानों की भौगोलिक स्थितियों, उनकी आबादी, सांस्कृतिक विभिन्नताओं, उनके लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करके उनके शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों के प्रभावों की समीक्षात्मक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सक्रिय रही है, क्योंकि उनके आर्थिक स्तरों और सन्दर्भिक परिस्थितियों में भिन्नता है। तथापित आधुनिक विकास की आपाधापी और शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों की कमी से दलित समूहों को आज भी मानवीय आवश्यकताओं से वंचित रहना पड़ा है।

मुख्य शब्द- अनुसूचित जाति, जनजाति, जागरूकता, उपयोगिता, शैक्षणिक योजनाए।

I. प्रस्तावना

समाज में तथाकथित आजादी के बाद बने भारत के संविधान में यदि सामाजिक एकता और न्याय के वायदे किये गये हों तो यह उस समाज के पूरे ऐतिहासिक विकासक्रम में एक महत्वपूर्ण परिघटना कही जा सकती है। जिसके लिए दो अलग-अलग सिद्धान्तों को एक साथ मिश्रित कर चलने की

©IJRASET: All Rights are Reserved

कोशिश की गयी। जिसमें योग्यताओं और समझौते दोनों के सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया और इसी बुनियाद के आधार पर "अनुसूचित जाति एवं जनजाति" के आधुनिक विकास का संवाद शुरू किया गया। इन जातियों में सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक स्तरीकरण में तेजी से बदलाव हुआ क्योंकि पहले सामाजिक गतिशीलता का मुख्य आधार परिस्थिति थी. आज, "अनुसूचित जातियों और जनजातियों" द्वारा प्राप्त गुणों, जैसे विभिन्न पदों में शासकीय या अर्द्धशासकीय निजी संस्थानों में सेवाएं, शिक्षा, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन, धन प्राप्ति आदि के आधार पर जीवन परिस्थिति बाह्य सम्पर्क और आधुनिकीकरण के प्रभाव से सूचीबद्ध जातियों और जनजातियों की सामाजिक संरचना और संस्कृति में कई प्रकार की गतिशीलता और बदलाव दिखाई देते हैं। "अनुसूचित जाति एवं जनजाति" के शैक्षिक एवं सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों में समानता जनतांत्रिक उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य सन्निहित किया गया। उनमें समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य (उत्तर प्रदेश शासन) ने "अनुसूचित जाति एवं जनजाति" को विशेष सहायता (आरक्षण) प्रदान करके उनके ऐतिहासिक घोषणा और भेदभाव का मुवावजा देने के प्रयास की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारों की मानी गयी। जबकि "अनुसूचित जाति एवं जनजाति" सकारात्मक भेदभाव और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए संविधान, संविधान द्वारा पहचानी गयी जातियाँ (श्रेणियाँ) हैं। इसमें वे लोग शामिल किये गये जो सामाजिक व्यवस्था में हमेशा निचले पायदान पर रहे हैं। भारत की "अनुसूचित जाति एवं जनजातियों" ने रूढ़िवादी सामजिक प्रणाली में निम्न सामाजिक श्रेणी एवं प्रथाओं को सहन किया है जिसमें अस्पृश्यता, गरीबी, अशिक्षा और असंगठित जीवनशैली के शिकार रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। देश में औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, संचार और परिवहन के आधुनिक संसाधनों, हिंदूवाद, ईसाई मिशनरियों, लोकतंत्र और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण "अनुसूचित जातियों और जनजातियों" में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव तेजी से हुए। आज के परिवर्तित परिवेश में वे अलग-अलग संस्कृति की प्रतीक न रहकर राष्ट्र की सभ्यता और जीवन की मुख्य धारा से जुड़कर समाज का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं। अन्य जनजातियों के साथ संपर्क बढ़ने से इनमें सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और एकीकरण की प्रक्रियाएँ विकसित हुई हैं। यही कारण है कि भारत की विभिन्न जनजातियों में सामाजिक गतिशीलता की स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यद्यपि "अनुसूचित जाति एवं जनजाति" की वर्तमान शैक्षणिक जागरूकता की वास्तविकता की परख उनके लिए संचालित और निर्मित शिक्षा नीतियों, कार्यक्रमों, अनुप्रयोगों विशेष रूप से पाठ्चर्या के आयामों आदि के प्रभाव से उनकी शैक्षिक स्थिति सुधरने के स्तर से लगाया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित समुदायों के भीतरी और पारस्परिक गहरे ऐतिहासिक अन्तरों से सामाजिक-आर्थिक बदलाव सम्भव हो रहा है। प्रचलित समाज में अनुसूचित जाति तथा जनजाति आज साझा संस्कृति के स्तर पर जीवनयापन कर रहे हैं। हालाँकि अभी भी बहुत सी सांस्कृतिक एवं भौतिक विभिन्नताएँ उपस्थित है इसलिए उनकी शैक्षणिक परिस्थिति का विश्लेषण संवेदनशीलता के साथ करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बड़े पैमाने पर शासकीय सहयोग और समर्थन से विद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थाओं के विस्तार और लोकतांत्रिक रीतियों की पहुँच तथा विभेदात्मक सहयोगी नीतियों के द्वारा शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और भिन्न-भिन्न सीमाओं के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विकास और बदलाव के मुख्य साधन के रूप सराहनीय कार्य किया है। जिससे एक ओर उनका आत्मसम्मान तो बढ़ा ही है साथ ही उनकी पहुँच आर्थिक-सामाजिक प्रगति तक सुनिश्चित भी किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों ने उनकी राजनीतिक चेतना को बढ़ाया है। यद्यपि समाज में अन्य जातियों की संख्या और "अनुसूचित जाति और जनजाति" के बीच गुणवत्ता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिणामों के आधार पर शैक्षणिक अन्तर को समाप्त कर लेना अभी बहुत दूर की बात लगती है। प्राप्त असमानताएँ इस बात को दर्शाती है कि अधिनायक तत्व वाले समाज में इन जातियों का समान एकीकरण मनोयोग से नहीं किया गया है। वर्तमान समाज में बढ़ते धुरवीकरण के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के समावेशन में शोषण, भेदभाव, विस्थापन और दमन की प्रक्रियाओं तथा स्वार्थ सम्बन्धों का जाल उत्पन्न हुआ है।

II. शोध समस्या

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी ने निम्नांकित शोध समस्या का चयन किया है।

''उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं उनकी उपयोगिता का अध्ययन''

अनुसन्धान चरों की परिभाषा- वर्तमान अनुसन्धान समस्या में प्रयुक्त शब्दावलियों को निम्न रूपों में परिभाषित किया गया है-

1 अनुसूचित जाति के विद्यार्थी- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का आशय उन जातियों के विद्यार्थियों से है जिन्हें संविधान की धारा 366(24) में अनुसूचित जाति के रूप में प्रावधानिक किया गया है। अर्थात् ऐसी जातियाँ या मूलवंश जिन्हें संविधान की धारा 341 में अभिप्रेत किया गया है। जैसे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी लोक अधिसूचना के द्वारा उन जातियों या मूलवंशों के भागों या उनमें विनिर्दिष्ट प्रावधानों जिन्हें संविधान के प्रयोजनों में पारित किया गया संघ या राज्यों के क्षेत्र में अनुसूचित जाति समझा जायेगा तथा अनुच्छेद 341(2) से संसद विधि द्वारा किसी जाति मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति या मूलवंश के भाग या उसमें से लोगों के खण्ड (1) के अधीन निकाली गयी अधिसूचना में विर्निदिष्ट अनुसूचित जातियों

की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी। प्रस्तुत शोध में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा घोषित सोनभद्र जनपद में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से लगाया गया है।

2 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से तात्पर्य भारतीय संविधान की धारा 366(25) के अन्तर्गत उल्लेखित उन समुदायों के विद्यार्थियों के रूप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित या प्रावधानित किये गये हैं। इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत की जातियों का केवल वह समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा आरम्भिक लोक अधिसूचना के द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अनुवर्ती संशोधन के द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है उन्हें अनुसूचित जनजाति का माना जायेगा। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का आशय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद सोनभद्र में निवासरत जनजातीय परिवारों के विद्यार्थियों से है।

3 शैक्षणिक योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं उपयोगिता- शैक्षणिक योजनाओं से तात्पर्य विद्यार्थियों में शिक्षा का विकास करने, शैक्षिक सुविधाओं को मुहैया कराने तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए साथ ही साथ विद्यार्थियों और समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए बनायी गयी रणनीतियों की पहचान, विकास और कार्यान्वयन से लगाया जाता है। प्रस्तुत शोध में शैक्षणिक योजनाओं से तात्पर्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों में शिक्षा की जागरूकता और उपयोगिता को बढ़ाने, समझ, पैदा करने, क्रियान्वित करने, उद्देश्यों की प्राप्त करने आदि के सर्वोत्तम तरीकों से लगाया गया है।

III. अनुसन्धान अध्ययन की परिकल्पना

वर्तमान अनुसन्धान कार्य ने निम्नलिखित अनुसन्धान उपकल्पना की वैधता की पुष्टि की है-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति उपयोगिता के तुलनात्मक अध्ययन में सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसन्धान अध्ययन का परिसीमान- प्रस्तुत शोध अध्ययन को निम्नांकित सीमाओं में आबद्ध किया गया है- प्रस्तुत शोध अध्ययन में "उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जनपद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के अध्ययन" तक सीमित किया गया है। सभी आठ विकासखण्डों यथा रार्बटसगंज, घोरावल, चतरा, चोपन, बभनी, म्योरपुर, दुद्धी तथा नागवा में स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्ध उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों में से कुल 800 "अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों में संचालित शैक्षणिक योजनाओं के अध्ययन" तक सीमित किया गया है।

संबंधित साहित्य सर्वेक्षण- गुड, वार और स्केटस2 (1953) महोदय ने शोध साहित्य की समीक्षा एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि- "जिस प्रकार एक सक्षम चिकित्सक को औषधि के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अन्वेषणों के साथ चलते रहना चाहिए ठीक उसी तरह शैक्षिक अनुसन्धान के शोधार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे अन्वेषणों और सम्पादित हो चुके शोध कार्यों की जानकारी रखनी चाहिए ताकि शोधकर्ता नवीनतम शैक्षिक सूचनाओं, साधनों और उनके उपयोगों से परिचित हो सके।" शोध साहित्यों का पुनरावलोकन शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण सिद्ध होता है क्योंकि यह नवीन शोध कार्यों को मौलिकता प्रदान करता है। शोध कार्यों से प्राप्त निष्कर्ष नवीन शोधों में आधार स्तम्भ होते हैं जिससे शोध कार्यों के लिए पथ-प्रदर्शन मिलता है। जबकि सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन के सन्दर्भ में स्काट एवं वर्दीमर3(1956) महोदय ने ठीक ही कहा कि – "सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा से घिसी-पिटी समस्याओं पर शोधकर्ता को व्यर्थ श्रम से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें नई समस्या के समाधान में इससे सहायता मिलती है।"

इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुये प्रसिद्ध विद्धान जॉन डब्ल्यू बेस्ट4(1967) ने कहा है कि-"व्यावहारिक दृष्टि से संपूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों और पुस्तकालयों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है"। अन्य जीवों के विपरीत, जो प्रत्येक पीढ़ी में ज्ञान को पुनः प्रारंभ करते हैं, मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संचित और संरक्षित रखता है तथा उन्हें आगामी पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। ज्ञान के विशाल भंडार में मानव का सतत योगदान सभी क्षेत्रों में उसके विकास की आधारशिला है। सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन अनुसन्धानकर्ता के लिए इसलिए भी आवाश्यक माना जाता है क्योकि सम्पादित हो चुके शोध अध्ययन नवीन शोधों के लिए पूर्व पीठिका होती है जो अनुसन्धानकर्ता के लिए निर्देशक का कार्य करती है जिस प्रकार शोधार्थी के नवीनतम अनुसंधान कार्य के लिए मार्ग दर्शक की आवाश्यकता होती है उसी तरह शोध सम्बन्धी कार्यों को त्रुटि रहित करने के लिए सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन की आवाश्यकता होती है। इस प्रकार सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा शोधार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में शोधार्थी अपने चयनित शोध कार्यो को यथोचित अग्रसर नही कर सकता है।

अनुसन्धान विधि – प्रस्तुत अध्ययन ''उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं उपयोगिता का अध्ययन'' नामक शीर्षक पर आलम्बित है। जिसमें शोधार्थी ने शोध समस्या के लक्ष्यों के आधार पर शोध अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए एक योजना की रचना की, इसे ही प्रस्तुत शोध अध्ययन का अभिकल्प कहा जाता है। इन्ही तथ्यों के आलोक में शोधार्थी ने निर्दिष्ट शोध अध्ययन के लिए "वर्णनात्मक शोध अभिकल्प" का चयन किया है

प्रतिदर्श- यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक- वर्तमान अनुसन्धान के लिए चयनित प्रतिदर्श

राज्य - उत्तर प्रदेश
जिला - सोनभद्र
क्षेत्र - ग्रामीण और शहरी
लिंग - लड़के और लड़कियां

IV. शोध परिणाम

सोनभद्र जनपद के अनुसूचित जाति के छात्रों में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति के अध्ययन संबंधी परिणाम-

"अनुसूचित जाति के छात्रों में शैक्षणिक योजनाओं के अध्ययन" के आयाम सर्वशिक्षा अभियान के प्रति जानकारी होना, उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा योजना की जानकारी, उत्तर प्रदेश आवासीय शिक्षा निशुल्क योजना की जानकारी, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, उत्तर प्रदेश अम्बेड़कर विशेष रोजगार योजना, आपरेशन कायाकल्प शिक्षा योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना, बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना, उत्तर प्रदेश शिक्षण प्रवीण योजना, मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा योजना आदि आयामों में अनुसूचित जाति के छात्रों की इन योजनाओं के प्रति जागरूकता व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी स्तर के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक अभिमत सहमत वाले पाये गये जबकि कम संख्या में असहमत और अनिश्चित अभिमत के छात्र पाये गये। इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति जानकारी की यह स्थिति प्रासंगिक और सार्थक है। प्राप्त परिणाम के सम्भावित कारकों में अनुसूचित जाति के छात्रों में शिक्षा के प्रति रूझान एवं शैक्षिक दृष्टिकोण में वृद्धि का होना, शासकीय शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावशीलता प्रदर्शित करने तथा व्यवहार स्थिति में परिवर्तन किये जाने वाले गुणों एवं विशेषताओं की प्रवृत्ति से परिचित होना आदि की प्रभावी भूमिका पायी गयी। प्राप्त परिणम के सामान ही पूर्ववर्ती शोध कायोर्ं से भी परिणाम प्राप्त हुए है जैसे- वर्मा, एस0 आर0 कुमार (2022) ने "द कोरिलेशन स्टडी ऑफ साइंस टीचिग एण्ड एचीवमेन्ट इन डिफरेन्स कोर्सेज आफ द सेडयूल कास्ट स्टुडेन्टस" नामक विषय पर शोध करके निष्कर्ष निकाला गया कि दिल्ली के कक्षा 10 की परीक्षा में साइंस टीचिग के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक जागरूकता से सकारात्मक रूप से सम्बन्धित पायी गयी है।

तालिका संख्या 4.2.1- "अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों में शैक्षणिक योजनाओं की उपयोगिता का अध्ययन"

क्र0सं0	शोध चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि।	माध्य अन्तर	क्रान्तिक अनुपात
1	अनुसूचित जाति के छात्र	200	42.8	6.35	1.82	4.158	
2	अनुसूचित जनजाति के छात्र	200	38.3	8.77		4.5	

स्वतंत्राशमान -398 के सार्थकता स्तर 0.01 के मान क्रमश 2.60 पर सार्थक

V. अनुसन्धान निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए शोधकर्ता ने चयनित शोध शीर्षक के विभिन्न आयामों जैसे "अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं उनकी उपयोगिता के अध्ययन" में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति जानकारी होना, उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा योजना की जानकारी, उत्तर प्रदेश आवासीय शिक्षा निशुल्क योजना की जानकारी, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, उत्तर प्रदेश अम्बेड़कर विशेष रोजगार योजना, आपरेशन कायाकल्प शिक्षा योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना, बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना, उत्तर प्रदेश शिक्षण प्रवीण योजना, मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा योजना आदि आयामों पर विद्यार्थी प्रतिक्रियाएँ अभिमतों के रुप में प्राप्त की गयी, प्राप्त परिणाम को निम्न रुपो में निष्कषार्थ विवेचित किया गया है-

सोनभद्र जनपद के अनुसूचित जाति के छात्रों में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति के अध्ययन संबंधी निष्कर्ष

"अनुसूचित जाति के छात्रों में शैक्षणिक योजनाओं के अध्ययन" के आयाम सर्वशिक्षा अभियान के प्रति जानकारी होना, उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा योजना की जानकारी, उत्तर प्रदेश आवासीय शिक्षा निशुल्क योजना की जानकारी, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, उत्तर प्रदेश अम्बेड़कर विशेष रोजगार योजना, आपरेशन कायाकल्प शिक्षा योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना, बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना, उत्तर प्रदेश शिक्षण प्रवीण योजना, मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा योजना आदि आयामों में अनुसूचित जाति के छात्रों की इन योजनाओं के प्रति जागरूकता व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी स्तर के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक अभिमत सहमत वाले पाये गये जबकि कम संख्या में असहमत और अनिश्चित अभिमत के छात्र पाये गये। इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों में शैक्षणिक योजनाओं के प्रति जानकारी की यह स्थिति प्रासंगिक और सार्थक है। प्राप्त परिणाम के सम्भावित कारकों में अनुसूचित जाति के छात्रों में शिक्षा के प्रति रूझान एवं शैक्षिक दृष्टिकोण में वृद्धि का होना, शासकीय शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावशीलता प्रदर्शित करने तथा व्यवहार स्थिति में परिवर्तन किये जाने वाले गुणों एवं विशेषताओं की प्रवृत्ति से परिचित होना आदि की प्रभावी भूमिका पायी गयी। प्राप्त परिणम के सामान ही पूर्ववर्ती

शोध कायोर्ं से भी परिणाम प्राप्त हुए है जैसे- वर्मा, एस0 आर0 कुमार (2022) ने ‘‘द कोरिलेशन स्टडी ऑफ साइंस टीचिग एण्ड एचीवमेन्ट इन डिफरेन्स कोर्सेज आफ द सेडयूल कास्ट स्टुडेन्टस’’ नामक विषय पर शोध करके निष्कर्ष निकाला गया कि दिल्ली के कक्षा 10 की परीक्षा में साइंस टीचिग के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक जागरूकता से सकारात्मक रूप से सम्बन्धित पायी गयी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1] अब्राहम, एल0 (2004) ‘बिल्डिंग कल्चरल कैपिटल टू कम्बैट पोवर्टी ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन एंड अरबन पुअर’ द्वारा सम्पादित एजुकेशन पार्टीशिपेसन ग्लोबलाइजेशन, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स प्रेग 2004, कॉन्फ्रेंस, पृष्ठ सं0 ए-2/11-18
[2] आचार्य, पी0 (1981) ‘पॉलिटिक्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल द केस ऑफ सहज पथ’ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 16(24) पृ0सं0 75
[3] आचार्य, पी0 (1987) ‘एजुकेशन पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर सम्पादन’ एजुकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज, नयी दिल्ली, सेज पृ0सं0 65-79
[4] आचार्य, एस0 (2001) ‘ऐसेस टू प्राइमरी एजुकेशन रूरल महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश’, ए0 वैद्यनाथन और पी0आर0 गोपीनाथन नायर (संपादकगण) की एलीमेंटरी एजुकेशन इन रूरल इण्डिया ए ग्रासरूट्स व्यू, नयी दिल्ली’ सेज, पृ0सं0 49-85
[5] अग्रवाल, एस0 (2003) ‘सी0आई0एन0आई0 ए0एस0एच0ए0 बिल्डिंग फॉर अरबन चिल्ड्रेन,’ वी रामचन्द्रन (संपादक) की, गेटिंग चिल्ड्रेन बैक टू स्कूल केस स्टडीज एन प्राइमरी एजुकेशन, नयी दिल्ली सेज, पृ0सं0 85-136
[6] अग्रवाल, वाई0 और एस0 सिबु (1994) एजुकेटिंग शिड्यूल्ड कास्ट्स ए स्टडी ऑफ इंटर डिस्ट्रीक्ट एंड इंट्राकास्ट डिफरेंशियल्स, नयी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
[7] अहमद, ए0 (1984) एजुकेशन ऑफ द शिड्यूल्ड ट्राइब्स सम ऑस्पेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी, नयी दिल्ली, एन0आई0पी0ए0
[8] ऐकारा, जे0 (1997) लर्नर एचीवमेंट इन प्राइमरी स्कूल, मुम्बई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी0आई0एस0एस0), मिमियोग्राफ।
[9] अम्बष्ट, एन0के0 (1970) ए0 क्रिटिकल स्टडी ऑफ ट्राइबल एजुकेशन, नयी दिल्ली, एस0 चाँद।
[10] आनंद, जी0 (1994) आश्रम स्कूल्स इन आंध्र प्रदेश ए केस स्टडी ऑफ चेंचुस ऑफ नल्लामलाई हिल्स, नयी दिल्ली, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स।
[11] बालगोपालन, एस0 (2003) ‘नाइदर सुटेड फॉर द होम नॉर फॉर द फील्ड्स इनक्यलूजन, फॉर्मल स्कूलिंग एंड द आदिवासी चाइल्ड’, आर0 सुब्रह्मणयम, एजुकेशन इनक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव्स, आई0डी0एस0 बुलिटन 34(1), जनवरी ससेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, पृ0सं0 55-62
[12] बैनर्जी, आर0 (2000) ‘पोवर्टी एंड प्राइमरी स्कूलिंग फील्ड स्टडीज फ्रॉम मुम्बई एंड दिल्ली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 15(10), मार्च 4 795-802
[13] बेतेले, ए0 (1983बी0) ‘द बैकवर्ड क्लोस एंड द न्यू सोशल ऑर्डर’ ए, बेतेले, द आइडियल ऑफ नेचुरल इन्इक्वेलिटी एंड अदर एसेस, नयी दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ0सं0 78-121
[14] भट्टाचार्य, एस0 (2002) ‘इंट्रोडक्शन एन अप्रोच टू एजुकेशन एंड इनइक्वालिटी, एस0 भट्टाचार्य (संपादित) एजुकेशन एंड द डिसिप्रिवलेज्ड नाइनटींथ एंड टूवेंटिन्थ सेंचुरी इंडिया, हैदराबा ऑरियंट लौंग मैन, 1-34 में
[15] चार्सले, एस0आर0 और जी0 के0 कारंथ (1998) चैलेंजिंग अनटचेब्लिटी दलित इनिशियेटिव एंड एक्सपेरियंस फ्रॉम कर्नाटक, नयी दिल्ली सेज, पृ0सं0 88-91
[16] चैटर्जी, एस0के0 (2000) एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स लुकिंग अहेड, नयी दिल्ली ज्ञान पब्लिशिंग हाउस पृ0सं0 17-19
[17] चिटनिस, एस0 और यू0 नायडू (1981) आइडेंटिटी ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, मुम्बई टी0आई0एस0एस0, मिमियोग्राफ, पृ0सं0 81-88
[18] कोरसन, डी0 (1993) लैंग्वेज, माइनोरिटी एजुकेशन एंड जेंडर, लिकिंग सोशल जस्टिस एंड पॉवर, टोरंटो ओंटारियो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन एजुकेशन, पृ0सं0 93-97

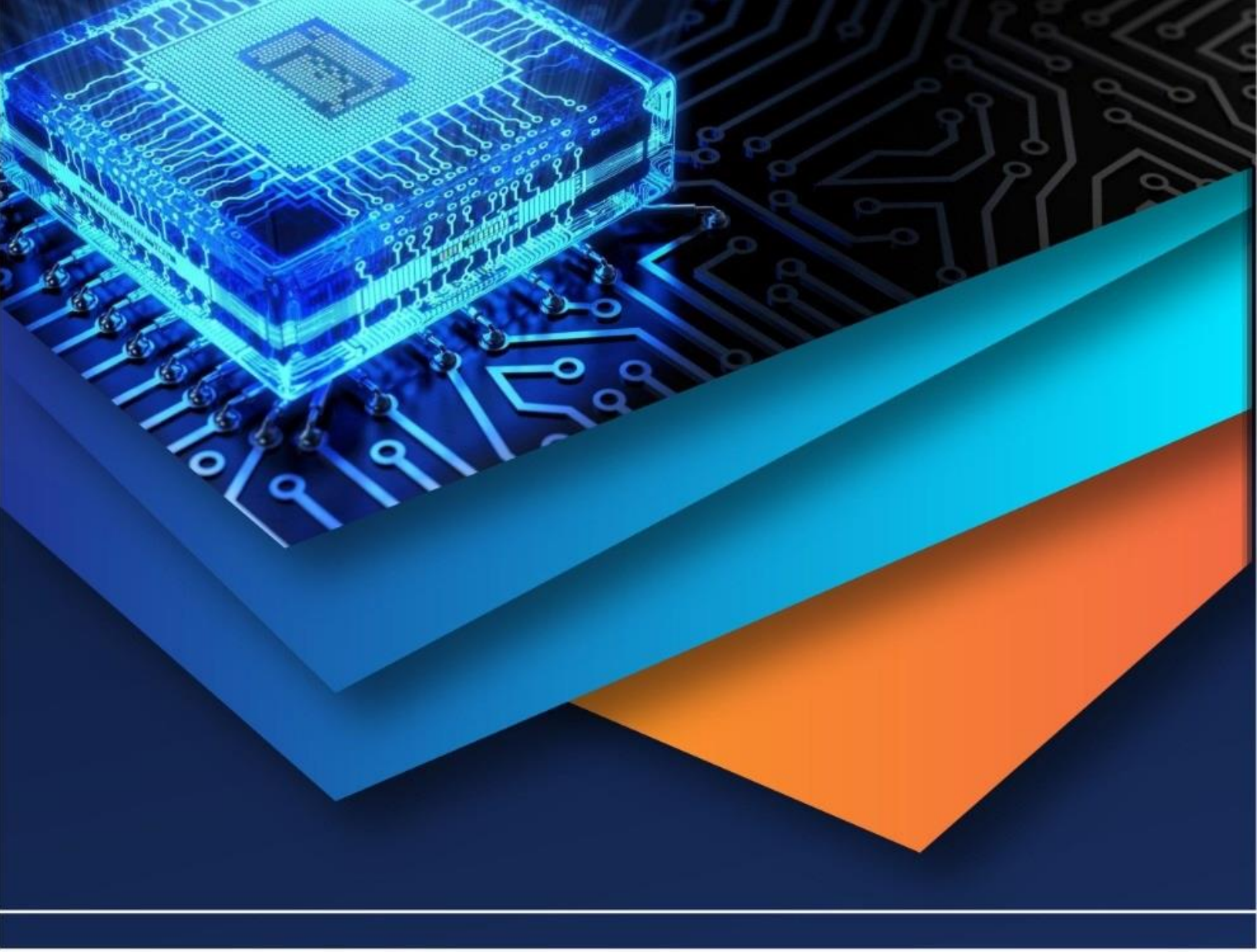

10.22214/IJRASET

45.98

IMPACT FACTOR: 7.129

IMPACT FACTOR: 7.429

INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH

IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLOGY

Call : 08813907089 (24*7 Support on Whatsapp)